कार्यालय जिला पंचायत,कानपुर नगर

अनुज्ञा स्वीकृत

पत्रांकः-223/मा0अनु0/जि0पं0/2024-25

दिनांकः-21-06-2024

सिद्धार्थ डेवलपर्स
पार्टनर- श्री संदीप कंसल पुत्र स्व० डी०सी० कंसल
निवासी- 117/एच-1/441 कंसल हाउस, पाण्डु नगर,
कानपुर नगर।
कार्यालय पता- 414/415 कृष्णा टावर सिविल लाइन्स कानपुर

विषयः- आवासीय एवं व्यवसायिक प्लाटिंग के मानचित्र स्वीकृत के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक ग्राम- बैदानी क्षेत्र पंचायत शिवराजपुर तहसील- बिल्हौर, कानपुर नगर की आराजी संख्या- 630,668ख,669क,670,674/1,675/2मि०,675/1मि०,703/2मि०,703मि०,706,707,708, 709मि०,711मि०,713मि०,671,672 एवं 673 में आवासीय एवं व्यवसायिक प्लाटिंग के मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो कि जिला पंचायत कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उक्त प्राप्त आवेदन पर जिला पंचायत कानपुर नगर की उपविधि संख्या 2574/23-10-2012-13-उत्तर प्रदेश दिनांक 30.05.2015 के क्रम में निम्न शर्तो के अधीन अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता हैं कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति स्वतः हीं निरस्त मानी जायेगी तथा निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग या ठेकेदार द्वारा निर्मित/प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद उन सभी विभागों से जिन से लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, अनुमति प्राप्ति का उत्तरदायित्व अनिवार्य रूप से आवेदक का होगा।
3. प्रस्तावित प्लाटिंग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण न किया जाय।
4. जलमल की निकासी मुख्य/अन्य मार्ग पर न की जाय तथा सीवरेज/नाली का निस्तारण प्लाटिंग स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
5. मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स के नियम 7 यथावत लागू रहेंगे।
6. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि निर्मित/प्रस्तावित प्लाटिंग का कार्य कुल प्लाटिंग एरिया आवासीय 33602. 05 वर्ग मी0 व व्यावसायिक 2868.33 में तथा ग्राम- बैदानी की आराजी संख्या- 630, 668ख, 669क,670,674/1,675/2मि०,675/1मि०,703/2मि०,703मि०,706,707,708,709मि०,711मि०,713मि०, 671,672 एवं 673 में ही कराया जायेगा।
7. प्रतिबन्ध रहेगा कि निर्मित/प्रस्तावित प्लाटिंग मे स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण की अवधि अनुज्ञा जारी होने की दिनॉक से 03 वर्ष की होगी।

निरन्तर-2

8. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र की अवधि तीन वर्ष के पश्चात् कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत कानपुर नगर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
9. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र में बिना किसी पूर्व सूचना के मानचित्र/स्थल में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है तो जिला पंचायत कानपुर नगर से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।
11. प्रतिबन्ध रहेगा कि कम से कम 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर दो पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (यदि अनिवार्य है) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
13. भूखण्ड स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
14. प्रतिबन्ध रहेगा कि समय–समय पर शासन द्वारा उक्त विषयक निर्गत शासनादेश स्वतःप्रभावी होगें।
15. रेन वाटर हार्वेस्टिम पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत कानपुर नगर उत्तरदायी नहीं होगा।
17. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष भवन निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चरल प्राविधानों के सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व प्लाटिंग स्वामी का होगा।
18. फर्म को रेरा में पंजीकृत कराकर पंजीकरण की सूचना कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।
19. प्लाटिंग स्वामी को नियमानुसार उपकर श्रम विभाग में जमा कर उसकी सूचना जिला पंचायत कार्यालय में देना अनिवार्य होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर
जिला पंचायत कानपुर नगर

पत्रॉकः– /मा0अनु0/जि0पं0/2024–25 दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत कानपुर नगर को सूचनार्थ।
2. अपर श्रमायुक्त महोदय, कानपुर क्षेत्र, कानपुर।
3. अभियन्ता जिला पंचायत कानपुर नगर को परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
4. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता जिला पंचायत कानपुर नगर को इस आशय के साथ की उक्त स्वीकृत पत्र के सापेक्ष ही निर्माण कार्य सुनिश्चित करायें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर